

|| कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, आयुक्तालय जोधपुर ||

प्रेस नोट

दिनांक:- 11.07.2024

श्रीमान पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार जोधपुर शहर के नो-एन्ट्री क्षेत्र में प्रवेश होने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा दिनांक 10.07.2024 से विशेष जाँच एवं कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है। इस हेतु पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के जिला पूर्व व पश्चिम में एक-एक टीम का गठन किया गया व समस्त यातायात अनुसंधान अधिकारियों को भी अधिकाधिक चालान कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त अभियान के दिनांक 10.07.2024 व 11.07.2024 को यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा जोधपुर शहर के नो-एन्ट्री क्षेत्र में संचालित होते पाये गये कुल 14 भारी वाहनों को सीज किया गया तथा नो-पार्किंग व पेट्रोल पम्पों पर खड़ी 19 बसों के विरुद्ध चालान कार्यवाही की गई। उक्त अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। भारी वाहन चालकों व बस संचालकों से अनुरोध है कि वाहन नो-एन्ट्री क्षेत्र में प्रवेश नहीं करावें तथा वाहनों को बिना पार्किंग स्थल के खड़ा नहीं किया जावे ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

यातायात पुलिस सदैव आपकी सेवा में ।

ओर से
(दुर्गाराम चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,
यातायात, जोधपुर



